न्यायालय अपर कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

पंचायत निरानी संख्या 05/2012

प्राथी ओमप्रकाश पुत्र डायाराम जाति सुथार निवासी जसोल तहसील पचपदरा	बनाम	विप्रार्थीगण 1. सरपंच ग्राम पंचायत जसोल पंचायत समिति बालोतरा 2. सुरेश कुमार पुत्र डूंगरचन्द 3. गौतम कुमार पुत्र डूंगरचन्द जाति भंसाली निवासी जसोल तहसील पचपदरा

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज़स्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने अनापति प्रमाण–पत्र दिनांक 30.4.2012 जो ग्राम पंचायत जसोल द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. प्रार्थी उपस्थित
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से ग्राम सेवक जसोल उपस्थित
3. अप्रार्थी संख्या 02 व 03 उपस्थित।

निर्णय — दिनांक 15.6..2016

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत जसोल द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के प्रार्थना पत्र पर जसोल गांव बस स्टेशन के पास सुआदेवी भण्डारी विद्यालय के सामने अणुव्रत तोरण द्वार बनाने बाबत दिनांक 30.4.2012 को जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र संख्या 2012/24 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं अप्रार्थी 02 व 03 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 30.4.2012 को बिना किसी तारीख के पेश कर जसोल गांव की मुख्य आबादी के मध्य सुआदेवी भण्डारी स्कूल के आगे जसोल बस स्टेशन के पास बड़ा तोरण द्वार अनुव्रत द्वार के नाम से बनाने हेतु अनापति प्रमाण–पत्र जारी करने की कार्यवाही एक ही दिन में पूर्ण कर, अनापति प्रमाण–पत्र जारी किया गया। अनुव्रत तोरण द्वार जिस स्थान पर बनाया जाना है वह

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में आम सड़क की भूमि है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 व 03 का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण अपने हित वं अपने परिवार का नाम रोशन करने के उद्वेश्य से सरकारी भूमि को हड़प कर उस पर तोरण द्वार बनाना चाहते है। तोरण द्वार बनाने में गुणपत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है एवं बिना तकनीकी के आधार पर घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। उक्त तोरण द्वार के पास ही विद्यालय एवं बस स्टेशन होने से दुर्घटना होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। अनापति प्रमाण–पत्र पर पदेन सचिव एवं ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं है एवं कार्यवाही अनुमोदित नहीं की गई, केवल मात्र सरपंच ने एकतरफा अप्रार्थीगण को खुश करने के लिये अनापति प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया जो गलत जारी होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत जसोल से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया गया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजस्व केम्प कोर्ट पचपदरा में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये अभय पक्ष के अभिभाषकगण के पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से ग्राम सेवक जसोल एवं अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित रहे।

5. प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत जसोल द्वारा अनुव्रत तोरण द्वार निर्माण हेतु गलत तरीके से जारी किया गया अनापति प्रमाण–पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से उपस्थित ग्राम सेवक जसोल द्वारा अवगत कराया गया कि तोरण द्वार का निर्माण कराने हेतु अनापति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा ब्लू प्रिन्ट एवं तकमीना पेश किये जाने के बाद अनापति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, निर्माण कार्य मे यदि घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, तो यह अलग से जांच का विषय है, इसके लिये अनापति प्रमाण–पत्र निरस्त किया जाना उचित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 ने अवगत कराया कि तोरण द्वार हेतु ग्राम पंचायत जसोल से विधिवत अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात तोरण द्वार का निर्माण सार्वजनिक हित में निर्धारित तकमीने एवं नक्शे के अनुसार करवाया गया है। उक्त अनुव्रत तोरण द्वार की सुरक्षा व इसकी देख–रेख की समस्त जिम्मेवारी अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की रहेगी। इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

6. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत के रिकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत जसोल ने अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के आवेदन पर ग्राम जसोल के बस स्टेशन के पास अनुव्रत तोरण द्वार का निर्माण करवाये जाने हेतु अनापति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। उक्त अनापति प्रमाण–पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत की शर्तो के अनुसार अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा निर्धारित तकमीने एवं नक्शे के अनुसार तोरण द्वार का निर्माण करवाया गया। उक्त अनुव्रत तोरण द्वार का निर्माण सार्वजनिक हित के लिये किया गया है तथा इसकी सुरक्षा एवं इसकी देखरेख करने की जिम्मेवारी निर्माणकर्ता अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा ली गई है एवं इस आशय का शपथ पत्र भी पेश किया है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत जसोल द्वारा अनुव्रत तोरण द्वार के निर्माण हेतु अप्रार्थी संख्या 02 व .03 को जारी अनापति प्रमाण–पत्र सार्वजनिक हित के मध्य नजर जारी किया गया है एवं तोरण द्वार की सुरक्षा एवं उसकी देख–रेख की जिम्मेवारी निर्माणकर्ता परिवार द्वारा लिए जाने से प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाती है एवं ग्राम पंचायत जसोल द्वारा जारी अनापति प्रमाण–पत्र यथावत रखा जाता है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय कोर्ट केम्प पचपदरा में आज दिनांक 15.6.2016 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)